

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक: निरी / परिपत्र / 170 / 85-86 / पार्ट-6 / 2008 / २४५८५-६६० दिनांक:
1. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह, राजस्थान।
2. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।
3. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्याल्यावास, दौसा।
4. अधीक्षक / प्रभारी, समस्त महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।
5. प्रभाराधिकारी, बाल बंदी सुधार गृह, जैतारण।

11/8/20

विषयः—राज्य की कारागृहों में पाये जाने वाली निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी
हेतु सघन अभियान चलाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राज्य सरकार के पत्र क्रमांक
प.8(18)गृह-12/कारा/2020 दिनांक 07.08.2020 की प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित
कर लेख है कि उक्त पत्र के संदर्भ में तलाशी के दौरान तलाशी दल को पूर्ण सहयोग
प्रदान किया जावें एवं बाद तलाशी विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट जरिये ई-मेल इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

सलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

lwt
(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान सरकार।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. महानिदेश कारागार, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने बाबत।
7. प्रभारी, कंट्रोल रूम, मुख्यालय कारागार, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते
है कि उक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही उच्चाधिकारियों के समक्ष
प्रस्तुत करें।

Vms
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर